(211)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3578–एक/2014 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 25–9–14 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर , टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 111 बी–121/2013–14 निगरानी

भरोसे पुत्र कुन्नाई पाल
ग्राम जरया तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा तहसीलदार पलेरा
2– हरदेव सिंह पुत्र मुलायम सिंह गौर
ग्राम जरया तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 पैनल लायर श्री राजीव गौतम)
(आवेदक क–2 के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र कुमार)

आ दे श
(आज दिनॉक 19-10-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर , टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 111 बी–121/2013–14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–9–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार पलेरा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 505/1/2 रकबा 2.023 हैक्टर ग्राम जरया (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि

सम्बोधित किया गया है) में स्थित है किन्तु सरहदी कृषकों से सीमा विवाद बना रहता है इसलिये सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराया जावे। नायव तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 44 अ 12/2009-10 पंजीबद्व किया । अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ ने नायव तहसीलदार तराना को पत्र कमांक 1226/18/भूअभि/अधी/10 दिनांक 22-7-2010 प्रस्तुत कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया , जिस पर पक्षकारों को सुनकर तहसीलदार पलेरा ने आदेश दिनांक 14-9-10 पारित किया एंव निर्णीत किया कि राजस्व निरीक्षक तराना एंव राजस्व निरीक्षक पलेरा संयुक्त रूप से पुर्नसीमांकन करें तथा पुर्नप्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार पलेरा के उक्तादेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी कमांक 74/2010-11 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 13-3-11 पारित किया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 8-7-10 को किये गये सीमांकन पर पुनः सुनवाई कर आदेश पारित किया जाय। आवेदक ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 13-3-11 की प्रमणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये तहसीलदार पलेरा को आवेदन दिनांक 20-4-11 प्रस्तुत किया तथा तद्नुसार कार्यवाही की मांग रखी। तहसीलदार पलेरा ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 4-6-12 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक पलेरा के नेतृत्व में गठित दल व्दारा किये गये सीमांकन अनुसार प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 9-5-12 को स्वीकार कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की।

तहसीलदार पलेरा के आदेश दिनांक 4-6-12 के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी कमांक 111 बी-121/2013-14 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-9-14 से निगरानी निरस्त करते हुये राजस्व मण्डल में निगरानी

प्रस्तुत होने का अंकन किया गया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के कम में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक ने नायव तहसीलदार पलेरा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन देकर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 505/1/2 रकबा 2.023 हैक्टर ग्राम जरया के सीमांकन कराये जाने की मांग की है, जिस पर से नायव तहसीलदार पलेरा ने अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ से सीमांकन की अपेक्षा की है। अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ ने नायव तहसीलदार बराना को पत्र कमांक 1226/18/भूअभि/अधी/10 दिनांक 22-7-2010 लिखा है जिसमें अंकित है कि :-

" सन्दर्भित पत्र के पालन में राजस्व निरीक्षक भू अभिलेख शाखा टीकमगढ़ एंव हलका पटवारी जरया, चौकीदार के साथ दिनांक 8-7-2010 को विषयांकित सीमांकन किया गया। मौके पर तैयार फील्ड बुक, पंचनामा सूचना पत्र के साथ प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित है। "

अशोक कुमार खरे, राजस्व निरीक्षक भू अभिलेख शाखा टीकमगढ़ का पत्र दिनांक 12-7-10 इस प्रकार है :-

" विषयांतर्गत निवेदन है कि संबंधी जन-हद के कृषकों को दिनांक 5-7-2010 को सूचना देकर दिनांक 8-7-2010 को मौके पर सीमांकन को गया। पटवारी एंव ग्राम चौकीदार साथ में था। फील्ड बुक तैयार कर सीमांकन किया गया। मौके पर हद के कृषक एंव संबंधी जन व पंच उपस्थित थे। खसरा नं. 505/1/2 करा रकबा मात्र 0.202 आरे आवेदक भरोसे लाल के कब्जा में पाया गया तथा 0.100 आरे चिमन अहिरवार तनय दमरू अहिरवार के कब्जे में अनधिकृत पाया गया तथा 1.721 है0

हरदेव सिंह तनय मुलायम सिंह निवासी जरया का अनधिकृत पाया गया ।''

उक्तानुसार प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार पलेरा ने निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

"इतने अधिक क्षेत्रफल पर इतने लंबे समय से चले आ रहे फसली कब्जे की विस्तृत जॉच भी आवश्यक हो जाती है। सामान्यतः ऐसा वर्णन सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा की विषयवस्तु नहीं होता है ऐसी क्या बजह रही कि आवेदक के भूमि स्वामित्व में दर्ज भूमि इतने लंबे काल से दूसरा कोई जोत बो रहा है ? इस तथ्य की जांच विधिक पाई जाती है। अतः उपरोक्त विश्लेषण उपरांत रा0नि0 बराना एंव पलेरा संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन दें कि वास्तविकता क्या है एंव वास्तविक सीमांकन क्या है ? ''

तहसीलदार पलेरा का उक्तादेश दिनांक 14-9-10 में लिया गया निर्णय विश्मय-बोधक है क्योंकि सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समकक्ष एंव कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ में पदस्थ अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ व्दारा पत्र दिनांक 22-7-2010 से प्रस्तुत किया गया है जिस पर अविश्वास की गुॅजायश न होते हुये भी तहसीलदार पलेरा व्दारा आदेश दिनांक 14-9-10 से लिया गया निर्णय शॅकास्पद है । सीमांकन के दौरान किसी कृषक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर यदि दीगर व्यक्ति का नाजायज कब्जा पाया जाता है तब सीमांकन उपरांत संहिता की धारा 250 की कार्यवाही करने के लिये राजस्व अधिकारी बाध्य है किन्तु तहसीलदार व्दारा वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर निर्णय लेते हुये अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22-7-2010 पर अविश्वास करते हुये दो राजस्व निरीक्षकों का दल गठित कर पुर्नसीमांकन की कार्यवाही आदेश दिनाक 14-9-10 जारी करना सीमांकन के लिये निर्धारित विधि एंव प्रकिया के विरुद्ध होकर दूषित निर्णय है जिस पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा स्वस्तर से स्पष्ट निर्णय न लेकर निगरानी कमांक 74/2010-11 में पारित आदेश

दिनांक 13-3-11 से प्रकरण तहसीलदार को पुनः निर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तित करने में भूल की है जिसके कारण पक्षकार आज तक व्यर्थ मुकदमेवाजी में फॅसे हुये है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 13-3-11 एंव तहसीलदार पलेरा का आदेश दिनांक 14-9-2010 एंव 4-9-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा निगरानी कमांक 74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 13-3-11 तथा तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण कमांक 44 अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 14-9-2010 एंव 4-6-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अधीक्षक भू अभिलेख टीकमगढ़ व्दारा पत्र कमांक 1226/18/भूअभि/अधी/10 दिनांक 22-7-2010 से प्रस्तुत सीमांकन दिनांक 8-7-2010 पर आधारित प्रतिवेदन को अंतिमता प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार पलेरा को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक की वादग्रस्त भूमि पर मौके पर पाये गये अतिकामकों के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये आवेदक को उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 505/1/2 रकबा 2.023 हैक्टर स्थित ग्राम जरया का कब्जा प्रदान कराया जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर